

२९ 7/20

पत्रावली भुलवाड में वकील पार्सी के मिल लवडी
आवेडन पर पेय इईय • प्रकरण से सम्बन्धित
भुलवाड खारीक हो युका है। अतः आवेडन
212 RTA का कोई औचित्य नहीं है। आवेडन
~~का~~ 212 RTA को खारीक किया जाय
है। पत्रावली के लल सुहार होकर नम्बर
से का होकर दायिल वसर है।


उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ